न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 168/16/दावा

सुखाराम पुत्र रामूराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. गोपाल लाल } पुत्रगण रामूराम
2. हणमान राम }
3. रामेश्वर } पुत्रगण भूराराम
4. रिछपाल }

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. जगन्नाथ पुत्र गंगूराम जाति रैगर निवासी ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. गुलाबकंवर धर्मपत्नी मालीराम जाति दरोगा निवासी गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक— 22.01.2018

1. दावा के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त कृषि भूमियां पुराने खसरा नं0 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों के नये खसरा नंबर 499 रकबा 0.72 है0, 500 रकबा 0.75 है0, 503 रकबा 1.45 है0 किता 3 कुल रकबा 2.92 है0 है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमियों के पूर्व खातेदार ओमकंवर पत्नी श्री मूलसिंह जाति राजपूत ने अपने हिस्से 1/2 में से हि0 2/3 हिस्से का बेचान वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को तथा 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का बेचान प्रतिवादी सं. 3

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

व 4 के नाम किया गया था जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक, दांतारामगढ के यहां दिनांक 16.06.1988 को पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त विक्रय पत्र के तहत ना.करण सं. 5 भरा जाकर दिनांक 25.06.1990 को तस्दीक किया गया। उपरोक्त ना.करण सं. 5 भरते समय विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 की जांच किये बगैर भरा जाकर गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया। वादी का नाम उपरोक्त ना.करण में दर्ज ही नहीं किया गया। जबकि जिस विक्रय पत्र के आधार पर ना.करण सं. 5 भरा गया। पूर्व खातेदार ओम कंवर के 1/2 हिस्से में से 2/3 हि0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 से खरीद किया है उक्त 2/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से का वादी हिस्सेदार रहा है। राजस्व रिकार्ड व ना.करण सं. 5 में वादी का नाम दर्ज नहीं होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.10.2016 को किसान केडिट कार्ड का ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब हुई। इसके पश्चात् तहसील कार्यालय में रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु जानकारी प्राप्त की गई तो तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने की हिदायत दिये जाने के पश्चात् माननीय न्यायालय में उक्त दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के आधार पर वादी का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने से वादी के वैध हक अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के आधार पर उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक और न्यायसंगत है। वाद कारण दिनांक 28.10.2016 को उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी को अपना नाम अंकित नहीं होने की जानकारी होकर वादी के वैध हक अधिकारों पर कुठाराघात होने की संभावना उत्पन्न होने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर वाद माननीय न्यायालय में नियोजित करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं. 5 व 6 को उपरोक्त भूमियों के सहखातेदार काश्तकार होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 7 तहसीलदार दातारागढ को भूधारक के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादास्पद भूमियां ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हासिल है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नंबर 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 499, 500, 503 किता 3 कुल रकबा 2.92 है0 वाके ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के आधार पर भूमि हिस्सा 1/2 में से 2/3 हिस्से में से 1/3 हक हिस्से का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें। वाद के समर्थन में ना.करण सं0 5 दिनांक 25.06.1990 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत् 2070–73 ग्राम गोपीनाथपुरा, मिलान क्षेत्रफल व विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की गई है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस वकील के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के अनुसार विक्रेता ओमकंवर पत्नी श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी गोपीनाथपुरा से वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा 1/3 हिस्सा विवादित आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 की करीब 5 बीघा साढे 15 बिस्वा भूमि संपूर्ण को क्रय किया गया जिसका ना.करण सं. 5 के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 गोपाललाल व हणमनाराम पुत्रगण रामूराम हि0 2/3 दर्ज कर दिया गया एवं वादी का नाम दर्ज होने से रह गया। इसके बाद आगे उसी अनुसार नाम चलता रहा। वादी के हिस्से कोई भूमि दर्ज नहीं की गई जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ ही भूमि का क्रय किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी के हिस्से की उद्घोषणा फरमायी जावें एवं गलत अंकन निरस्त फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

4. हमने वादी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम गोपीनाथपुरा प.मं. चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 30 के खसरा नंबर 499, 500, 503 किता 3 कुल रकबा 2.92 है0 अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में प्रतिवादी सं. 1 व 2 गोपाललाल व हणमानराम पि. रामूराम हि. 1/3 दर्ज है जबकि विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के द्वारा विक्रेता ओमकंवर पत्नी श्री मूलसिंह जाति राजपूत नि0 गोपीनाथपुरा द्वारा ग्राम गोपीनाथपुरा की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 की करीब 5 बीघा साढे 15 बिस्वा भूमि संपूर्ण का बेचान क्रेतागण गोपाललाल, हणमानराम, सुखाराम पुत्रगण श्री रामूराम हि. 2/3 व रामेश्वरलाल, रिछपाल पुत्रगण श्री भूराराम हि. 1/3 जाति जाट निवासी गण गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ को किया गया था जिसका ना.करण सं. 5 दिनांक 25.06.1990 के द्वारा कॉलम सं. 9 में वादी का नाम छोड़ते हुए शेष का इन्द्राज कर दिया गया। मिलान खसरा अनुसार खसरा नंबर 125 के नवीन खसरा नंबर 499, 500 व 503 बने है। इस प्रकार मुताबिक विक्रय पत्र वादी अपने हिस्से की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के द्वारा विक्रेता ओमकंवर पत्नी श्री मूलसिंह जाति राजपूत नि0 गोपीनाथपुरा द्वारा ग्राम गोपीनाथपुरा की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 की करीब 5 बीघा साढे 15 बिस्वा भूमि संपूर्ण का बेचान क्रेतागण गोपाललाल, हणमानराम, सुखाराम पुत्रगण श्री रामूराम हि. 2/3 व रामेश्वरलाल, रिछपाल पुत्रगण श्री भूराराम हि. 1/3 जाति जाट निवासी गण गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ को किया गया था जिसका ना.करण सं. 5 दिनांक 25.06.1990 के द्वारा कॉलम सं. 9 में वादी का नाम छोड़ते हुए शेष का इन्द्राज कर दिया गया, वादी सुखाराम को पुराने खसरा नं0 125 नये खसरा नंबर 499, 500, 503 में खातेदार गोपाललाल, हणमानराम पि. रामूराम हि. 1/3 के साथ ही 1/3 हिस्से में खातेदारी उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है यानि पूर्व खातेदार गोपाललाल, हणमानराम पि. रामूराम हि. 1/3 हजफ की जाकर खातेदारी गोपाललाल, हणमानराम, सुखाराम पि. रामूराम हि. 1/3 रखे जाने के आदेश दिये जाते है। शेष मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 168/16/दावा

सुखाराम पुत्र रामूराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. गोपाल लाल } पुत्रगण रामूराम
2. हणमान राम }
3. रामेश्वर } पुत्रगण भूराराम
4. रिछपाल }

   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. जगन्नाथ पुत्र गंगूराम जाति रैगर निवासी ग्राम गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
6. गुलाबकंवर धर्मपत्नी मालीराम जाति दरोगा निवासी गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक— 22.01.2018

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आरएएस

सुखाराम बनाम गोपाललाल आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 168/दावा/2016 निर्णय दिनांक 22.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ओम प्रकाश शर्मा आरएएस बहाजरी श्री शिवपालसिंह वकील मिनजानिब मुद्दई — मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है एवं विक्रय पत्र दिनांक 16.06.1988 के द्वारा विक्रेता ओमकंवर पत्नी श्री मूलसिंह जाति राजपूत नि0 गोपीनाथपुरा द्वारा ग्राम गोपीनाथपुरा की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 125 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 की करीब 5 बीघा साढे 15 बिस्वा भूमि संपूर्ण का बेचान क्रेतागण गोपाललाल, हणमानराम, सुखाराम पुत्रगण श्री रामूराम हि. 2/3 व रामेश्वरलाल, रिछपाल पुत्रगण श्री भूराराम हि. 1/3 जाति जाट निवासी गण गोपीनाथपुरा तहसील दांतारामगढ को किया गया था जिसका ना.करण सं. 5 दिनांक 25.06.1990 के द्वारा कॉलम सं. 9 में वादी का नाम छोड़ते हुए शेष का इन्द्राज कर दिया गया, वादी सुखाराम को पुराने खसरा नं0 125 नये खसरा नंबर 499, 500, 503 में खातेदार गोपाललाल, हणमानराम पि. रामूराम हि. 1/3 के साथ ही 1/3 हिस्से में हिस्सेदार की उद्घोषणा किये जाने के आदेश दिये जाते है यानि पूर्व खातेदार गोपाललाल, हणमानराम पि. रामूराम हि. 1/3 हजफ की जाकर खातेदारी गोपाललाल, हणमानराम, सुखाराम पि. रामूराम हि. 1/3 रखे जाने के आदेश दिये जाते है। शेष मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 जनवरी, 2018 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	11	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner